


भाग -III
संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है ।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया गया (हॉ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे ।	नहीं ।
15	क्या वन संरक्षक उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत नहीं है। वनमंडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदित वन क्षेत्र 40.468 हेक्टे. में IVA, IVB क्वालिटी का 0.5-0.6 घनत्व का मिश्रित वन है जिसमें संलग्न गोशवारा अनुसार 10769 मिश्रित प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। भविष्य में इन वृक्षों की कटाई से स्थापित घनत्व में कमी आने से वन आवरण एवं पुनरुत्पादन को क्षति पहुंचेगी। तथा वनमंडल अधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 8 में उल्लेखित अनुसार उक्त क्षेत्र में Panther or Leopard, Bear, Sambar, Spotted dear, Jakal, Langur वन्यप्राणियों की उपस्थिति दर्शाई गई हैं। आवेदित क्षेत्र में उत्खनन गतिविधि के कारण वन्यप्राणी के स्वतंत्र विचरण में व्यवधान उत्पन्न होगा। अतएव पारिस्थितिक रूप से पर्यावरण एवं पुनरोत्पादन को क्षति पहुंचेगी।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत ।	वनमंडल अधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में दिये गये अभिमत अनुसार प्रकरण में अनुशंसा नहीं की जाती है।

तिथि - 12/07/2019
स्थान- बालाघाट


 (शशि मलिक)
 भा0व0से0
 मुख्य वनसंरक्षक
 बालाघाट वनवृत्त म.प्र.